न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 125 / 2025

उनवान

1. पुरणमल पिता मेघा जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी सियार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता बालुलाल जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. शंकरलाल पिता बालुलाल जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. सायर देवी पत्नी जगदीश जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सीमा देवी पत्नी राकेश कुमार जाट, निवासी सियार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
5. कैलाश पिता उदा जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. नारायण पिता उदा जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. फुलचन्द पिता उदा जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. भैरू पिता उदा जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. भवंर पिता उदा जाट निवासी सियार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला–भीलवाडा (राज.)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.10.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.07.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सियार प०ह० आमलीगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 485 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 744 / 484 रकबा 0.1921 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 746 / 556 रकबा 0.2821 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.7271 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **21.07.2025** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या **01 लगायत 09** बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम सियार प०ह० आमलीगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 485 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 744 / 484 रकबा 0.1921 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 746 / 556 रकबा 0.2821 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.7271 हैक्टेयर भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000 / –रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)